



प्रेषक,

राम आसरे राम ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
30प्र0, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2026

विषय:- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश के डेयरी क्षेत्र में हो रहे निवेश की परियोजनाओं के निरीक्षण तथा नीति-2022 में आवेदन की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरीय सत्यापन इत्यादि कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-800/दुग्ध-04/दुग्ध उद्योग अनुभाग/बजट/2025-26, दिनांक 10 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 में आवेदन की प्रक्रिया के विभागीय एवं विभिन्न स्तरीय सत्यापन इत्यादि कार्य हेतु तथा किराए के वाहन की व्यवस्था मद हेतु धनराशि रु० 22.50 लाख (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश के डेयरी क्षेत्र में हो रहे निवेश की परियोजनाओं के निरीक्षण तथा नीति-2022 में आवेदन की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरीय सत्यापन इत्यादि कार्य हेतु उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु० 22,50,000 (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि दुग्ध आयुक्त के निर्वर्तन पर रखे जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

- (1) धनराशि का आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गार्डिलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किये जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, 30प्र0 का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, 30प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(6) प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, 30प्र0 का होगा।

(7) जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाने आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्धआयुक्त, दुग्धशाला विकास, 30प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(10) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(11) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, 30प्र0 का उत्तरदायित्व होगा।

(12) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कर लिया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27मार्च, 2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 22,50,000 (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 2404001021100 उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति- 2022 मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राम आसरे राम

संयुक्त सचिव।

संख्या- 10/2026/224 /001-53-1099-099-24-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0, प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज ।
- 3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, 30प्र0 शासन।
- 7- दुग्ध विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम बूझ
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।